

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में

सी. एम. पी. संख्या 415/2019

मिथिलेश प्रसाद सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य

..... प्रतिवादीगण

...

कोरम:माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंद सेन

...

याचिकाकर्ता के लिए: श्री विशाल कुमार राय, अधिवक्ता  
राज्य के लिए: एपीपी

...

3/07. 02. 2020 इस सीएमपी को डब्ल्यूपी (एस) संख्या 3844/2018 के पुनः स्थापन के लिए दायर किया गया है, जिसे अनिवार्य आदेश के आंशिक अनुपालन की चूक के कारण खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के विद्वत अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि गलती से उक्त अनिवार्य आदेश का अनुपालन नहीं किया जा सका। वह प्रस्तुत करता है कि दो सप्ताह के भीतर वह रिट याचिका संख्या 3844/2018 में दिनांक 24.01.2019 को पारित आदेश का अनुपालन करेगा।

उपर्युक्त निवेदन पर विचार करते हुए, इस सीएमपी में की गई प्रार्थना स्वीकार की जाती है। यदि कार्यालय द्वारा इंगित त्रुटियों को आज से दो सप्ताह के भीतर दूर कर दिया जाता है तो रिट याचिका संख्या 3844/ 2018 को उसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित कर दिया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)